

अनुदान संख्या 16 - कंपनी कार्य मंत्रालय
GRANT No. 16-MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	135,00,00	85,77,44	-49,22,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			46,43,64
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	10,00,00		
पूरक	Supplementary	26,80,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings /excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	9195.00		
पु.	R.	-4487.32	4707.68	4582.90
				-124.78
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services			
मू.	O.	4305.00		
पु.	R.	-156.32	4148.68	3994.54
				-154.14

(I) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कंपनी कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत 4612.10 लाख रु. की बचत (9195.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) करार के अनुसार परियोजना के संपूर्ण और प्रचालन चरण का प्रमाणीकरण न किए जाने की वजह से कंपनी कार्य मंत्रालय-21 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए साफ्टवेयर, डिजिटाइजेशन की लागत की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण" के अंतर्गत 544.22 लाख रु. की बचत (573.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायिक मामलों की वजह से रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3475" - "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन - कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 271.73 लाख रु. का अधिक व्यय (1748.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित चिकित्सा बिलों का निपटान किए जाने, किराया, दरों और करों में वृद्धि होने और कंपनी कार्य मंत्रालय-21 कार्यक्रम लागू किए जाने की वजह से कार्यालय व्यय होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 74.06 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, यद्यपि मार्च, 2007 में 2680.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 0.40 लाख रु. (वास्तविक अधिक व्यय 40,000 रु. था) अधिक हो गया। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगें स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

(I) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Company Affairs" - saving of Rs.4612.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9195.00 lakhs) was due to non-payment of cost of software, digitisation for implementation of Ministry of Company Affairs-21 project owing to non-certification of completion and operation phase of the project as per the agreement.

(II) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - National Company Law Tribunal (NCLT)" - saving of Rs.544.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.573.70 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to court cases.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "3475" - "Regulation of Joint Stock Companies - Registrar of Companies under Companies Act" - excess of Rs.271.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1748.30 lakhs) was due to clearance of pending medical bills, increase in rent, rates and taxes and office expenses owing to implementation of Ministry of Company Affairs-21 programme.

(II) Under one head excess of Rs.74.06 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, although supplementary grant of Rs.2680.00 lakhs was obtained in March, 2007, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.0.40 lakh (actual excess was Rs.40,000). **The excess requires regularisation by voting of the Excess Demands for Grants by the Parliament.**